


92



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. विविध-2724/2018/रीवा/भू.रा

श्री. प्रमोद कुमार सिंह-45  
जिसका आज दिनांक 21/5/18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक चर्चा हेतु  
दिनांक 22/5/18 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर  
3.5.18

- 1- रतौआ पत्नी शोभानाथ कुम्हार
  - 2- कैलाशनाथ प्रजापति पुत्र स्व.श्री शोभानाथ कुम्हार
  - 3- अशोक पुत्र स्व. श्री शोभानाथ कुम्हार
  - 4- ऋषिनाथ पुत्र स्व. शोभानाथ कुम्हार
  - 5- सिद्धनाथ पुत्र स्व. श्री शोभानाथ कुम्हार
- सभी निवासीगण - ग्राम बिझौली, तहसील हनुमना,  
जिला रीवा (म.प्र.) -----आवेदकगण

### बनाम

- 1- ज्ञानवती सिंह पत्नी श्री राजमणी सिंह
  - 2- सुरेश सिंह तनय श्री विश्वनाथ सिंह
  - 3- प्रवीण सिंह तनय श्री मुनिप्रताप सिंह
  - 4- सुखलाल तनय सम्पत्ति साहू
- सभी निवासीगण- ग्राम बिझौली, तहसील हनुमना,  
जिला रीवा (म.प्र.) -----अनावेदकगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा - 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

### भूल सुधार वावत्

माननीय,


आवेदकगण की ओर से आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

- 1- यहकि, आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर मऊगंज, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 15/निगरानी/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21-2-2018 से परिवेदित होकर, माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी।
- 2- यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को प्रकरण क्रमांक 11/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/1991 पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 4-4-2018 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर महोदय का आदेश दिनांक 21-2-2018 निरस्त कर नायब तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-3/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2011 अपील योग्य आदेश होने से सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक विविध/02724/2018/ जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-06-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित होकर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 भूल सुधार बावत प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/रीवा/भूरा/2018/1991 में पारित आदेश दिनांक 4.4.18 में आदेश के पृष्ठ 2 पर पैरा 2 की लाईन नम्बर-7 में नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.7.11 के स्थान पर 28.7.17 टंकित हो गया है, इसे सुधार करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2-आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा पारित आदेश दिनांक 4.4.18 में आदेश के पृष्ठ 2 पर पैरा 2 की लाईन नम्बर-7 में नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.7.17 के स्थान पर 28.7.11 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी ।</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>